494
22.8.14

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा म0प्र0

---

20 Rs COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R. 3077-III/14

1. शारदा प्रसाद सिंह पिता स्व0कालू सिंह
2. दिवाकर सिंह तनय श्री संगम लाल सिंह
3. प्रभाकर सिंह तनय संगम लाल सिंह

उक्त सभी निवासी ग्राम परसिया, थाना जवा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म0प्र0 ———आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दिनांक 22-8-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1. आम जनता परसिया, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म0प्र0
2. छेदी लाल कोल
3. भैया लाल कोल
4. जेठू कोल
5. बिहारी कोल

क्रमांक 2 ता 5 समस्त निवासी ग्राम परसिया, तहसील त्योंथर, थाना जवा जिला रीवा म0प्र0 ———अनावेदकगण

क्रमांक 2764
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्र0क्र0741/अपील/13-14 शारदा प्रसाद वगैरह बनाम आम जनता परसिया मे पारित आदेश दिनांक 1.8.2014 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

अधीनस्थ विचारण न्यायालय/तहसीलदार तहसील त्योंथर के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3077–तीन/2014 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-7-16	आवेदक अभिभाषक श्री बृजराज सिंह द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 741/अपील 13–14 में पारित आदेश दिनांक 01.08.14 के विरूद्व म0प्र0भू0रा0स0 की धारा 50के अन्तगर्त यह निगरानी प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक को ग्रहयता एवं स्थंगन पर सुना गया आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कराये गये। मात्र पटवारी का प्रतिवेदन को आधार मानकर विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 11.09.13 को पारित करते हुये अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त पारित आदेश दिनांक 11.09.13 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी क्योथर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जो दिनांक 28.06.14 को निरस्त कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 01.08.14 द्वारा निरस्त कर दी गई जिसके विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। 3/ अपीलार्थी अभिभाषक के तर्क सुने गये अवलोकन किया अपीलान्ट शारदा प्रसाद के द्वारा स्कूल भवन के दक्षिण की और बनी आराजी में दरवाजा खोलकर आराजी पर अवेधानिक रूप से कब्जा किया है। तथा	

मड़ई वनाकर भैस वाधा कर कब्जा किया है। जवकि ओसाटी स्कूल भवन की है।

4/ आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया अपर आयुक्त के आदेश तथा अवलोकन करने पर इस निषकर्ष पर पहुचा हूं। कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा आदेश परित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखा जाता है। निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय की जाती है।

(के0आर0 जैन)
सदस्य